

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 3/अ0प्र0-1-191/2019 12/5 /पटना, दिनांक :- 7.7.2020

कार्य प्रमण्डल महाराजगंज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सीसई मोड़ से सिरमौरा पथ पैकेज सं0-BR-34R-198 एवं गोपालपुर प्राथमिक विद्यालय से डुमछ तक पैकेज सं0- BR-34R-221 के निर्माण में सही नियंत्रण एवं सही पर्यवेक्षण नहीं करने के चलते पथ का निर्माण ससमय नहीं होने एवं गोपालपुर प्राथमिक विद्यालय से डुमछ तक पैकेज सं0-BR-34R-221 के चैनेज 3.5 कि0मी0 से चैनेज 4.6 कि0मी0 तक तथा 4.8 कि0मी0 से 5.15 कि0मी0 तक GSB प्रावधानित 175 mm के स्थान पर क्रमशः 125 mm एवं 150 mm पाये जाने, इन चैनेजों पर GSB कार्य प्रावधानित मुटाई में नहीं कराने के आरोपों के लिए श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महाराजगंज के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1191 अनु0 दिनांक 28.05.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 20.07.2018 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि सहायक अभियंता से अपेक्षित दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए स्वयं तथा कनीय अभियंता के सघन पर्यवेक्षण में तथा समय-समय पर कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसीलन में संवेदक के माध्यम से ससमय सम्पन्न कराने का भरसक प्रयास किया जाता रहा है।

3. श्री कुमार के स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि संवेदक के द्वारा कार्य को ससमय गुणवत्ता पूर्ण नहीं कराने के लिए श्री कुमार जिम्मेवार हैं।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम (v) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतः उक्त के आलोक में श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महाराजगंज के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम (v) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक


6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

8
17/7/2020
(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-191/2019 1288 /पटना, दिनांक :- 7.7.2020


प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


11/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-191/2019 1288 /पटना, दिनांक :- 7.7.2020


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-191/2019 1288 /पटना, दिनांक :- 7.7.2020


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-191/2019 1288 /पटना, दिनांक :- 7.7.2020


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग /जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल गोपालगंज/अपर सचिव, स्थापना, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-5/6/लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री अनिल कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-191/2019 1288 /पटना, दिनांक :- 7.7.2020

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।


11/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-191/2019 1268 /पटना, दिनांक :- 7-7-2020
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8
11/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-191/2019 1268 /पटना, दिनांक :- 7-7-2020
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8
11/7/2020

अपर सचिव

10